न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 266 / 2016

1 भागाराम पुत्र दयालाराम
2 रोहताश पुत्र बनवारीलाल
3 लालचंद पुत्र बनवारी
4 विरेन्द्र पुत्र बनवारीलाल
5 मूलचंद पुत्र मालाराम
6 रामचन्द्र पुत्र मालाराम
7 श्यामलाल पुत्र रामेश्वर
8 महेन्द्र पुत्र रामेश्वर
9 बन्शी पुत्र रामेश्वर
10 रामजीलाल पुत्र स्व. मालाराम
11 तेजाराम पुत्र स्व. मालाराम
12 हजारीलाल पुत्र स्व. मालाराम
समस्त जातियान अहीर निवासी ढाणी जाटावाली तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
13 (मृतक) महावीर प्रसाद पुत्र बद्री जाति अहीर निवासी ढाणी जाटावाली तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
13 / 1 मनोज कुमार दत्तक पुत्र स्व महावीर प्रसाद जाति अहीर निवासी ढाणी जाटावाली तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
14 छोटी देवी पत्नी सांवलराम
15 बाबुलाल पुत्र सांवलराम
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी जाटावाली तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं शाश्वत नाबालिग जरिये संरक्षण पुजारी ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 सांवलराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी ढाणी साईयों की तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2/1 शांति देवी पत्नी स्व. सांवलराम
2/2 ओमप्रकाश उम्र 40 साल पुत्र स्व. सांवलराम
2/3 दिनेश उम्र 38 साल पुत्र स्व. सांवलराम
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी साईयों की तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 श्योराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ढाणी साईयों की तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 हनुमंत सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत
5 कैलाश शर्मा पुत्र अर्जुनलाल जाति ब्राह्मण
6 पूर्णाराम पुत्र गधुराम जाति मेघवाल
समस्त निवासीगण सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल जिला नीमकाथाना
7 मदनलाल पुत्र मालाराम
8 कैलाश पुत्र मालाराम
9 जगदीश पुत्र मालाराम
10 विक्रम पुत्र सांवलराम
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी जाटावाली तन सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
11 राजस्थार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2016 व संशोधित निर्णय दिनांक 29.08.2016 सहायक कलेक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक नम्बर 1) उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं कैम्प कोर्ट सराय उनवानी वाद मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी बनाम भागाराम आदि दावा बाबत धारा 183 आरटीए मु.नं. 222/11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री कमेर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 2/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 222/2011 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अ. धारा 183 प्रस्तुत कर मूर्ति मंदिर की भूमि खसरा नम्बर 262, 263, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 288, 289, 290, 291, 292 वाके ग्राम सराय से बेदखल करने का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सराय में रेस्पोडेन्टस 1 से 6 (वादीगण) की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर ग्राम सराय के भूमि खसरा नम्बर 262, 263, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 288, 289, 290, 291, 292 की भूमि मन्दिर श्री सीताराम जी ग्राम सराय की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड इन भूमियों से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 एवं 14 लगायत 16 एवं प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के विधिक वारिसान को बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया गया है कि प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा संरक्षक मन्दिर पुजारी को सम्भलाये जाने का आदेश पारित किया दिनांक 29.08.2016 के द्वारा आदेश की तीसरी लाईन में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 के स्थान पर 1 लगायत 11 दुरूस्त किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाता है को आदेश विचारण न्यायालय द्वारा विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली वास्ते कायम मुकामान व जवाब दावा में हेतु दिनांक 11.06.2016 की पेशी के लिए नियुक्त थी परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.06.2016 को कैम्प सराय में मुकदमें का निर्णय कर दिया जबकि विचारण न्यायालय ने प्रक्रिया को अपनाये बिना ही किसी साक्ष्य सबूत के ही रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत दावा निर्णित करने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट 1 से 6 ने ऐसी कोई सबूत पेश नहीं की कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ओमप्रकाश जो मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी में स्थित मन्दिर का संरक्षक व पुजारी हो। क्योंकि ओमप्रकाश ने कभी भी मूर्ति मन्दिर सीतारामजी की पूजा अर्चना नहीं की और न ही इसकी कोई मन्दिर मूर्ति में आशा है, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अध्यापक की नौकरी करता था सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 तो भूमि खसरा नम्बर 262, 263, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 288, 289, 290, 291, 292 कुल रकबा 2.980 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने हेतु दावा कर अपने हक में दावा निर्णित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट 7 से 10 के कब्जे काश्त की भूमि में से सीधा रास्ता निकालना चाहते थे। किन्तु जब इनका विरोध किया तो बदले की भावना से प्रेरित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने गलत आधार पर दावा कर अपने हक में निर्णित करवा लिया, जबकि मूर्ति मन्दिर के हित कतई सुरक्षित नहीं है और गलत आधारों पर भूमि पर कब्जा कर हड़पकर जाना चाहते है। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 10 पीढ़ीयों से ठिकाने के वक्त से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है तथा मन्दिर श्री सीताराम जी की सेवा पूजा करते है तथा नाबालिग मूर्ति के हितार्थ कार्य कर रहे है। दावे में प्रतिवादी नम्बर 12 व 13 की मृत्यु हो जाने के बाद रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 को कायम मुकामान को रिकार्ड पर लाने का आवेदन करते। किन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 ने कोई आवेदन–पत्र पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं किया। इस प्रकार से दावा अबैट हो चुका था। विचारण न्यायालय ने दावा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 जो मृतक है उनके वारिसान को भी बेदखल करने का आदेश दिया है जबकि प्राकृतिक न्याय के आधार पर इनको पक्षकार बनाया. जाकर सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्टस नम्बर 10,11, 12 तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 स्व. मालाराम के वारिसान है तथा अपीलान्ट नम्बर 13 स्व. प्रतिवादी नम्बर 13 स्व. प्रति 13 का पुत्र है। विचारण न्यायालय ने इनको भी विवादित भूमि के बेदखल करने का आदेश दिया है, जबकि इसलिए इनकी ओर से भी अपील पेश की जा रही है। प्रतिवादीगण नम्बर 6, 7 और 16 अपील करने के रोज गांव में न होकर नौकरी के सिलसिले में बाहर होने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 7, 8 व 10 बनाये गये है। अपीलान्ट नम्बर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15 एवं रेस्पोडेन्टस 6, 7, 10 को विचारण न्यायालय द्वारा सम्मन तामील नहीं हुई, जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही गलत की गई थी। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2065 से 2068 ग्राम सराय के अनुसार प्रश्नगत भूमि मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत वाद वादीगण ने मंदिर भूमि की हितार्थ प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के प्रश्नगत भूमि जो मंदिर की भूमि है पर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा मंदिर की भूमि पर नाजायज काश्त कर मुफाद उठा रहे है, जो रैंक ट्रेसपासर की श्रेणी में आते है, जिन्हें वादीगण बेदखल करवाने तथा मंदिर की भूमि व मंदिर के हितों की सुरक्षा करवाने के कानूनी मुस्तहक है। प्रश्नगत भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी भूमि है जो शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है। मंदिर की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा काश्त करने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर मंदिर के हितों को नुकसान पहुचाया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2065 से 2068 ग्राम सराय के अनुसार प्रश्नगत भूमि मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत वाद वादीगण ने मंदिर भूमि की हितार्थ प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के प्रश्नगत भूमि जो मंदिर की भूमि है पर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा मंदिर की भूमि पर नाजायज काश्त कर मुफाद उठा रहे है, जो रैंक ट्रेसपासर की श्रेणी में आते है, जिन्हें वादीगण बेदखल करवाने तथा मंदिर की भूमि व मंदिर के हितों की सुरक्षा करवाने के कानूनी मुस्तहक है। प्रश्नगत भूमि मन्दिर श्री सीतारामजी की खातेदारी भूमि है जो शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है। मंदिर की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा काश्त करने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)